रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि किशोरी लाल एवं किशोर राम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम पिंडिया के खाता संख्या 196 में दर्ज खातेदार नाम किशोर राम पुत्र अरजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम किशोरी लाल पुत्र अरजाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम पिंडिया के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 196 में वर्णित खसरान् में दर्ज खातेदार नाम किशोर राम पुत्र अरजाराम के स्थान पर वास्तविक नाम किशोरी लाल पुत्र अरजाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग है। बैंक के रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेंगें।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner